भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2411
उत्तर देने की तारीख 21 दिसम्बर, 2022

इंटरनेट न्यूट्रालिटी

2411.श्री के. मुरलीधरन; डॉ. डी. रविकुमार; श्री भर्तृहरि महताब; डॉ. अमर सिंह; डॉ. ए. चेल्लाकुमार; श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में इंटरनेट न्यूट्रालिटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) टीआरएआई (ट्राई) द्वारा दूरसंचार विभाग को सिफारिश किए जाने के बाद भी बहु- हितधारक निकाय अभी तक स्थापित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की इंटरनेट न्यूट्रालिटी की कोई तकनीकी संपरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उनके नेटवर्क में इंटरनेट न्यूट्रालिटी की निगरानी के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जुलाई 2018 में कंटेंट के भेदभाव-रहित प्रबंधन के सिद्धांतों को शामिल करते हुए नेट न्यूट्रलिटी पर निर्देश जारी किए गए थे।

इसके बाद दूरसंचार विभाग ने सितंबर 2018 में कंटेंट के भेदभाव-रहित प्रबंधन के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए एकीकृत लाइसेंस और एकीकृत लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) और एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस समझौते में संशोधन किया और मई 2019 में "नेट न्यूट्लिटी" पर विनियामक फ्रेमवर्क के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस में संशोधन जारी किया।

(ख) दूरसंचार विभाग ने दिनांक 31.07.2018 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को "ट्रैफिक प्रबंधन पद्धति (टीएमपी) और नेट न्यूट्रलिटी के लिए बहु-हितधारक निकाय" पर ट्राई की सिफारिशें आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखा। ट्राई ने दिनांक 22.09.2020 को इस विषय पर अपनी सिफारिशें दीं। ट्राई की सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की तकनीकी लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से की जा रही है जिसमें नेटवर्क के बारे में तकनीकी जानकारी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ, टैरिफ प्लान आदि शामिल हैं।

****